राजस्व लोक अदालत केम्प 2018 ग्राम पंचायत दांथल
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–9/2018 प्रार्थना पत्र
श्रीमती जसु पत्नी श्री शंकर बलाई, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
––––––प्रार्थीया

बनाम

1–श्री शिव लाल पिता भवानी बक्ष ढोली, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री बालू पुत्र श्री भवानी लोंगर ,उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3– श्रीमान तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा –राजस्थान
–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–01.05.2018

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 618 रकबा 14 ,आराजी नं. 619 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा , एवम आराजी नं. 916 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बिघा 15 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण की संख्या 3 के सम्मन के बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.03.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया । विपक्षी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए । जिसे शामिल पत्रावली किये गये। । विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.03.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 हत स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 618 रकबा 14 ,आराजी नं. 619 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा , एवम आराजी नं. 916 । 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बिघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये रगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, ल को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 1.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner